

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्युप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (116) एम.ई./ग्युप-1/1991

जयपुर, दिनांक 29/6/17


आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (116) एम.ई./ग्युप-1/1991 दिनांक 29.05.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, यूरोलोजी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान	मेरिट संख्या	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	डॉ० संजीव जायसवाल, सहायक आचार्य, यूरोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	एम-03	27.07.2017


उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(रामध्याल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी